2 Pages 296 | 64/2017 | 125

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0–8–11
कमांक– 64 /2017
आरबीई सं0–18/2017
सं0 ई/254/2/भाग–22/चार दिनांक –04–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–ग्रेड पे 1800/–रूपये (लेवल–1) से ग्रेड पे 1900/–रूपये (लेवल–2) में 16–2/3% कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति के चयन के लिए सेवा की न्यूनतम पात्रता की शर्त।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)I–2016/सीएफपी/5 दिनांक 01.03.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र की अंग्रेजी प्रतिलिपि पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.03.2017 (क्रमांक–49/2017) द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

11.04.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
5– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

11.04.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

आरबीई सं. 18/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)1-2016/सीएफपी/5 नई दिल्ली, दिनांक 01.03.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- ग्रेड पे 1800/- रुपए (लेवल-1) से ग्रेड पे 1900/- रुपए (लेवल-2) में 16-2/3% कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति के चयन के लिए सेवा की न्यूनतम पात्रता की शर्त।

जैसा कि रेलों को विदित है, बोर्ड के दिनांक 10.10.2000 के पत्र सं.ई(एनजी)I-96/सीएफपी/27 के अनुसार वाणिज्यिक लिपिकों, टिकट क्लर्कों, ट्रेन क्लर्कों ऑफिस क्लर्कों और अन्य कोटियों के क्लर्कों जैसे कि भंडार क्लर्कों आदि के सबसे निचले ग्रेड के 16-2/3% पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पूरी तरह मेरिट पर ऐसे सबंधित वरिष्ठता यूनिटों में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा वाले, पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों, जो दसवीं पास हों, की पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है।

2. अब यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या मेरिट के आधार पर भरे जा रहे 16-2/3% कोटे के अंतर्गत ग्रेड पे 1800/- रुपए (लेवल-1) से ग्रेड पे 1900/- रुपए (लेवल-2) में पदोन्नति के लिए चयन में भाग लेने वाले अ.जा/अ.ज.जा के उम्मीदवारों को दो वर्ष की सेवा शर्त में रियायत दी जा सकती है।

3. तद्नुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रेड पे 1800/- रुपए (लेवल-1) के अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी, 16-2/3% के पदोन्नति कोटे के अंतर्गत ग्रेड पे 1900/- रुपए (लेवल-2) में पदोन्नति के लिए संबंधित वरिष्ठता यूनिट में दो वर्षों की नियमित सेवा के पूरा करने पर ही उक्त चयन के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्थापना(एन)
रेलवे बोर्ड